न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :—08 / 2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुखलाल पुत्र सुगालराम जाति घांची निवासी बेरा गोरवा जोधपुरिया गेट के बाहर, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. मांगीलाल पुत्र सुगालराम फौत के का0मु0 1/1 जसकी पत्नी मांगीलाल 1/2 बाबुलाल पुत्र मांगीलाल 1/3 सुजाराम पुत्र मांगीलाल 1/4 प्रकाश पुत्र मांगीलाल 1/5 कानाराम पुत्र मांगीलाल तमाम जातियान घांची निवासीगण बेरा गोरवा, बालाजी नगर, जोधपुरिया गेट के बाहर सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0 2. तहसीलदार (भूमि धाकर) सोजत जिला पाली ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री ताराचन्द भाटी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र नारायण ओझा अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित

—: निर्णय :— दिनांक — 13/06/2024

उप खण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली (राज.)

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत चक प्रथम भू0अ0नि0 सोजत तहसील सोजत के खसरा नम्बर 2334 कुल 01 कुल रकबा 0.1500 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। दिनांक 1/1 को सुजाराम का जबाब दावा बन्द किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा सहमति स्वरूप प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने हेतु निवेदन किए जाने से दिनांक 19.03.2024 को हस्तगत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर वादस्थ भूमि का विभाजन प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने कमांक/राजस्व /2024 /641 दिनांक 20.05.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादीगण, तहसीलदार, सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 13.05.2024 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

-: आदेश :-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 13.05.2024 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत चक प्रथम भू0अ0नि0 सोजत तहसील सोजत के खसरा नम्बर 2334 कुल 01 कुल रकबा 0.1500 हैक्टर की हैक्टर की कृषि भूमि कृषि भूमि का बंटवाडा/विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	सुखलाल पुत्र सुगालराम घांची सा0 देह खातेदार	2334	0.09	किस्म चा0प्र0	
		01	0.09		
2.	कानाराम · बाबुलाल प्रकाश सुजाराम पिता मांगीलाल जसकी देवी पत्नी मांगीलाल घांची सा0देह खातेदार	2334/1	0.06	किस्म चा0प्र0	
		01	0.06		

उक्तानुसार प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 13/06/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

डिकी बमुकददमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :—08 / 2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुखलाल पुत्र सुगालराम जाति घांची निवासी बेरा गोरवा जोधपुरिया गेट के बाहर, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. मांगीलाल पुत्र सुगालराम फौत के का0मु0 1/1 जसकी पत्नी मांगीलाल 1/2 बाबुलाल पुत्र मांगीलाल 1/3 सुजाराम पुत्र मांगीलाल 1/4 प्रकाश पुत्र मांगीलाल 1/5 कानाराम पुत्र मांगीलाल तमाम जातियान घांची निवासीगण बेरा गोरवा, बालाजी नगर, जोधपुरिया गेट के बाहर सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0 2. तहसीलदार (भूमि धाकर) सोजत जिला पाली ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री ताराचन्द भाटी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र नारायण ओझा अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत चक प्रथम भू0अ0नि0 सोजत तहसील सोजत के खसरा नम्बर 2334 कुल 01 कुल रकबा 0.1500 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। दिनांक 1/1 को सुजाराम का जबाब दावा बन्द किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा सहमति स्वरूप प्राथमिक डिकी जारी किए जाने हेतु निवेदन किए जाने से दिनांक 19.03.2024 को हस्तगत प्रकरण में प्राथमिक डिकी जारी कर वादरथ भूमि का विभाजन प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/राजस्व /2024 /641 दिनांक 20.05.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिकी जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादीगण, तहसीलदार, सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 13.05.2024 वादी का राजस्व वांद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

— आदेश —

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कसई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री ताराचन्द माली अधिवक्ता वादी श्री अभिषेक ओझा अधिवक्तागण प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत चक प्रथम भू0अ0नि0 सोजत तहसील सोजत के खसरा नम्बर 2334 कुल 01 कुल रकबा 0.1500 हैक्टर की हैक्टर की कृषि भूमि कृषि भूमि का बंटवाडा/विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	सुखलाल पुत्र सुगालराम घांची सा0 देह खातेदार	2334	0.09	किस्म चा0प्र0	
		01	0.09		
2.	कानाराम बाबुलाल प्रकाश सुजाराम पिता मांगीलाल जसकी देवी पत्नी मांगीलाल घांची सा0देह खातेदार	2334/1	0.06	किस्म चा0प्र0	
		01	0.06		

उक्तानुसार प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13/06/2024 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	'न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली